	विभाग /कार्यालय/उपक्रम का नाम	संचालनालय मत्स्योद्योग मध्य प्रदेश भोपाल
	विभाग का नाम	मत्स्योद्योग विभाग
	योजना का नाम	**''तलावों का सुधार एवं नवीनीकरण'' (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण)**
1	योजना का नाम, उपयोजनाओं(यदि कोई हो तो) के नाम सहित (यदि लागू हो तो कृप्या निम्नांकित जानकारी उपयोजनावार प्रेषित की जावे)	''ताजा जल, जलकृषि विकास'' (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण)
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित हे ।	''ताजा जल, जलकृषि विकास'' (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण) केन्द्रीय प्रयोजित योजना है ।
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	मछली पालन विभाग (मत्स्योद्योग विभाग)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों पंजीकृत संस्था है इसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है ।
5	योजना का उद्देश्य	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार है :- 1-ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्धकराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना । 2- पडित जलक्षेत्र का सघन मछली पालन कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्य उत्पादन बढाना। 3- स्वयं की भूमि पर मछली पालन के लिये तालाब निर्माण करने पर मत्स्य पालनकों को बैंक ऋण या स्वयं के व्यय से दोनों स्थितियों में तालाब बनाने पर अनुदान दिया जाता है । 4- मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूंजी के लिए बैंक से लम्बी अवधि काा ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना ।
6	क्या योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? यदि नही	यह योजना प्रदेश के समस्त 50 जिलों में क्रियान्वित की जाती रही है ।

	तो कृपया उन क्षेत्रों/ जिलों/ विकासखण्डों के नाम दर्शायें जाये जहां पर योजना क्रियान्वित	
7	किस प्रकार हितग्राही योजना अंतर्गत सम्मिलित किये गये है । (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनु. जाति/अनू.जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/पुरूष/महिला आदि	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है को हितग्राही बनाया जाता है ।
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड यदि कोई हो तो	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है को हितग्राही बनाया जाता है। इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता कम निम्नानुसार है:- 1. वंशानुगत मछुआ जाति/अनु.जनजाति/अनु.जाति/पिछडा वर्ग/ सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति. 2. वंशानुगत मछुआ जाति/अनु.जनजाति/अनु.जाति/पिछडा वर्ग/ सामान्य वर्ग के स्व सहायता समूह/मछुआ समूह. 3. वंशानुगत मछुआ जाति/अनु.जनजाति/अनु.जाति/पिछडा वर्ग/ सामान्य वर्ग का व्यक्ति विशेष .
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर अथवा व्यक्तिगत एवं समूह दोनो स्तर पर दी जाती है ।	सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल ऐक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।
10	प्रदान की जा रही अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधरित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे) दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम भारत सरकार का अंशदान राज्य सरकार का अंशदान	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन , डेयरी, एवं मत्स्य पालन विभाग) कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र कमांक 31013/1/07-एफ वाय (3)दिनांक 15 अप्रैल 2011 कि छायाप्रति संलग्न है, इसके परिशिष्ट-1 में निर्धारित दरों अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत विभिन्न अयाटमों में हितग्राहियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है । अनुदान राशि के कुल व्यय का 75 प्रतिशत भार, भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है ।
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत मार्जिन मनी देने का कोई प्रावधान नही है ।

	है ? यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये जानकारी प्रस्तुत की जावे	
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियॉ योजना अंतर्गत अपेक्षित है ?	ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना ।
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करे।	उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 10 के संबंध में भारत सरकार कृषि मंत्रालय (पशुपालन,डेयरी, एवं मत्स्य पालन विभाग)कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 31013/1/07-एफ वाय (3)दिनांक 15 अप्रैल 2011 में सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए कुल लागत की निर्धारित सीमा दी गई है । कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें ।
14	क्या योजना अंतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है?	हॉ
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखायें (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये है?	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है भारत सरकार के परिपत्र (उपरोक्त बिन्दू क्र.13 में उल्लेखित)अनुसार अनुदान राशि दी जाती है ।
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो	निरंक